[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 58/2018 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 26 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. .... (अ)—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 45 और केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 81 के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उन व्यक्तियों को, जिनका रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा 30 सितंबर, 2018 को या उसके पूर्व निरस्त कर दिया गया है, व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो उक्त नियमों के प्ररूप **जी.एस.टी.आर. 10** में अंतिम विवरणी 31 दिसंबर, 2018 तक प्रदान करेंगे ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी (पार्ट)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार